न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0: 21/2020

तारीख रजू:—02.07.2020

पीठासीन अधिकारी :—जोगेन्द्र सिंह (RAS)

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:37:06 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

1. शंकर पुत्र भंवरया उर्फ भूरा निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—वादी

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र माधो माली निवासी मालकी बालाजी के पास, चौथ का बरवाड़ा।
2. श्योजीलाल पुत्र माधो माली निवासी चौथ का बरवाड़ा, हाल निवासी अंजलि गार्डन C/O सैनी पेट्रोल पम्प के पास, राजनगर कॉलोनी, मानटाउन, सवाई माधोपुर। (फोत)
   2/1. पुष्मा पत्नि स्व0 श्योजी माली
   2/2. सीमा पुत्री स्व0 श्योजी माली
   2/3. राजेश पुत्र स्व0 श्योजी माली
   2/4. दीपू पुत्र स्व0 श्योजी माली
   निवासीयान आनन्द पब्लिक स्कूल के पास, राजनगर कॉलोनी, सवाई माधोपुर।
3. कमला पुत्री माधो पत्नि चिरंजीलाल सैनी, निवासी आनन्द पब्लिक स्कूल के पास, राजनगर कॉलोनी, सवाई माधोपुर।
4. तहसीलदार लैण्डहोल्डर, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः—
वकील वादी :— श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट
वकील प्रतिवादीगणः—श्री अजय शेखर दवे, एडवोकेट

दावा बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 30.03.2026

—: निर्णय :—

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि—

❖ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एक ही खानदान के व्यक्ति हैं। भूरा व माधो खास भाई थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। सजरा खानदान निम्नानुसार है—

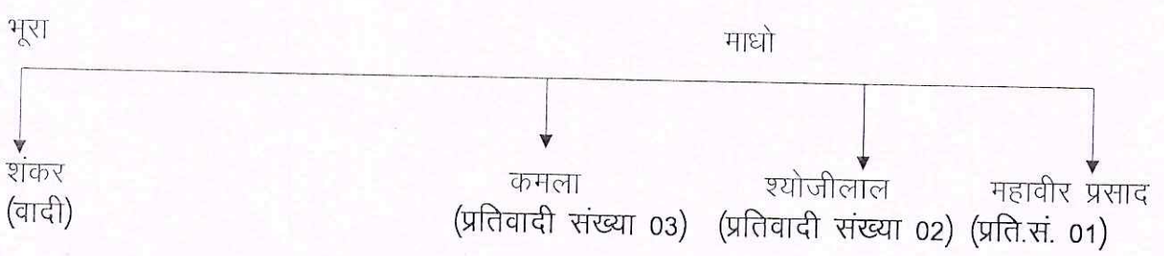

❖ प्रतिवादी संख्या 02 चौथ का बरवाड़ा से कामकाज के सिलसिले में पिछले 10 वर्षों से जयपुर में निवास कर रहा है, तथा प्रतिवादी संख्या 3 की शादी हो जाने से वह पिछले करीब 30 वर्षों से सवाई माधोपुर अपने परिवार सहित रह रही है वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 ही ग्राम चौथ का बरवाडा में रहता है तथा सब्जी मण्डी चौथ का बरवाडा में सब्जी व फूट बेचकर तथा दलाली करके अपना गुजर बसर करता है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

❖ वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 की पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम चौथ का बरवाडा की राजस्व सीमा में स्थित है जो पटवार हल्का चौथ का बरवाडा बी के अन्तर्गत आती है। इस भूमि के पूर्व में वादी का पिता भरो व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के पिता माघो खातेदार थे उनकी मृत्यु हो जाने पर विरासत का नामान्तकरण वादी के हक में तस्दीक किया जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबन्दी में अमल किया गया तथा माधो की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के हक में तस्दीक किया जाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड जमाबन्दी में अमल किया गया।

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:37:06 IST
Reason: SelfAttested
Signature Not Verified

❖ आराजी खसरा नं. 1331 (एक हजार तीन सौ इकतीस) रकबा 0.2700 है० किस्म चाही 3 खसरा नं. 1336 (एक हजार तीन सौ छतीस) रकबा 0.2500 है० किस्म चाही 3 खसरा नं. 1337 (एक हजार तीन सौ सेंतीस) रकबा 0.3000 है० किस्म चाही 3 ग्राम चौथ का बरवाडा की जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के खाता सं. 643 पर दर्ज है। जिसका 1/2 हिस्से का वादी खातेदार काश्तकार है। तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 प्रत्येक 1/6 1/6 के खातेदार काश्तकार है इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 का कुल हिस्सा भी 1/2 है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि हमरा दावा पेश है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

❖ प्रतिवादी सं. 2 पिछले 10 वर्षो से खाने कमाने चला गया है अतः वह अपने परिवार सहित जयपुर में ही रहता है प्रतिवादी सं. 3 शादी होकर अपने ससुराल 30 वर्ष पूर्व चली गई थी और सवाई माधोपुर में ही अपने परिवार सहित निवास कर रही है।

❖ प्रतिवादी सं. 2 व 3 के चौथ का बरवाडा के बाहर रहने से ग्राम चौथ का बरवाडा की वादान्तर्गत भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 (एक) ही कब्जा किए हुए बैठा है तथा वादी से आए दिन काश्त को लेकर झगडा करता रहता है वादी शरीफ इन्सान है तथा उसके बच्चे पढे लिखे व नेक व्यक्ति है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 व उसके लडकों से झगडा नहीं करते है बल्कि हाथाजोडी करके वादान्तर्गत भूमि पर काश्त करते है और अपने परिवार का पालन पोषण करते है।

❖ वादी व प्रतिवादी सं. 1 ने संवत 2076 में खरीफ में बाडी व रबी की फसल में गेंहूं खसरा नं. 1331 में किया था इसी प्रकार खसरा नं. 1336 में उडद व गेंहूं तथा खसरा नं. 1337 में बाडी व गेंहू पैदा किया था जिसके प्रमाण में खसरा गिरदावरी संवत 2076 की प्रमाणित प्रतिलिपि हमरा दावा पेश है।

❖ वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के मध्य बंटवारे को लेकर आए दिन कहासुनी होती रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को कहा कि हम तहसीलदार जी के समक्ष पेश होकर भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा करवा लेते है जिससे विवाद न हो परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने साफ इनकार कर दिया और अपनी मनमर्जी से वादी की सहमति व रजामंदी के बिना खसरा नं. 1331 के सीमाज्ञान का ऑर्डर तहसीलदार चौथ का बरवाडा से करवा लिया वादी ने प्रतिवादी सं. 3 (अपने काका की लडकी) से भी प्रतिवादी सं. 1 की शिकायत की। उसने भी प्रतिवादी सं. 1 को टेलीफोन वार्ता से समझाने का प्रयास

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

किया परन्तु प्रतिवादी सं. 1 अपनी जिद पर अडा हुआ है तथा कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित कर अपनी मनमर्जी से रेवेन्यू अधिकारियों की अनुमति के बिना अविभाजित भूमि में निर्माण कर रहा है जिसका प्रतिवादी सं. 1 को कानूनी अधिकार नहीं है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 का [illegible] 80 फीट लम्बा चौडा वादान्तर्गत भूमि में बना हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:06 IST
Reason: SelfAttested

❖ वादी को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानों के अनुरूप यह अधिकार प्राप्त है कि वह सक्षम न्यायालय से सहखातेदारी की भूमि का विधिवत तकासमा कराए क्योकि एक सहखातेदार का अविभाजित भूमि के प्रत्येक इंच भूमि पर अधिकार होता है प्रतिवादी नं. 1 ने तो मनमर्जी से एक कौने को लेकर भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया जबकि वादी की सहमति कानूनन आवश्यक थी। वादी इस सीमाज्ञान की आड में खसरा नं. 1330 जो राकेश पहाडिया की खातेदारी की जमीन है में भी करीब 5–7 फीट चौडाई में तथा 400 फुट उत्तर दक्षिण लम्बाई में घुस गया व जबरन विधिवत बंटवारा कराए बगैर मनमर्जी से खसरा नं. 1331 में पुख्ता निर्माण करीब 60 फुट • 60 फुट भूमि पर करने लग गया। वादी नींव खोदने लगा तभी प्रतिवादी सं. 1 को मना किया कि हमारा बंटवारा नही हुआ है विधिवत्त बंटवारा हो जाने पर निर्माण कर लेना परन्तु प्रतिवादी नं. 1 नाराज हो गया तथा धमकी दी कि वह सारी भूमि पर इसी प्रकार लट्ठ के जोर पर कब्जा करेगा तथा वादी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करेगा। प्रतिवादी सं. 1 बहुमूल्य भूमि पर कब्जा कर पुख्ता निर्माण करने लग गया है तथा नींव भरकर करीब 2 फीट उंचा निर्माण अवैध रूप से कर लिया है जिसका प्रतिवादी सं. 1 को कानूनी अधिकार नहीं है।

❖ दिनांक 29.06.2020 को वादी मौके पर गया और प्रतिवादी सं. 1 को निर्माण करने से मना किया जिस पर वह आग बबूला हो गया और एलानिया कहा कि वह सारी भूमि पर कब्जा करके रहेगा। वादी अपनी जो भी ताकत हो लगा ले वादी गरीब व कमजोर व्यक्ति है इसलिए उसने न्यायालय की शरण में ही आना उचित समझा है।

❖ विनाय दावा दिनांक 29.06.2020 को ग्राम चौथ का बरवाडा प्रतिवादी सं. 1 द्वारा एलानिया सारी भूमि खसरा नं. 1331, 1336, 1337 पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने से अन्दर हुदूद अदालते वाला पैदा हुआ जिससे यह दावा करना लाजिम आया।

❖ दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :–

- खसरा नं. 1331, 1336, 1337 का तकासमा वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के मध्य Metes And Bounds के अनुसार किया जावे जिसमें वादी व प्रतिवादीगण को बराबर बराबर भूमि मिले तथा वे अपनी आराजी पर हल कुली कृषि औजार एवं पैदावार आसानी से ला और ले जा सके प्रत्येक खसरा नम्बर में दोनों का हिस्सा मिले।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ चौथ का बरवाड़ा ★ सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- पक्षकारान का बंटवारा विधिवत किया जाकर वादी को 0.4100 है0 भूमि संभलाई जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को संयुक्त रूप से 0.4100 है० भूमि संभलाई जावे तथा वादी व प्रतिवादीगण के खाते अलग अलग किए जावे।

- प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमावे कि वह कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन बिना बंटवारा की डिक्री प्राप्त किए न करे एवं वादी के कब्जे काश्त में बाधा न तो स्वयं पहुचावे न ही किसी अन्य से पहुंचवावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये जाकर उन्हे न्यायालय में तलब किया।

3. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक राजीनामा इस अमर का पेश किया है कि–

   - प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य ग्राम चौथ का बरवाड़ा, पटवार हल्का चौथ का बरवाड़ा बी की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि के संबंध में बंटवारा इस प्रकार हुआ है कि खसरा नंबर 1337 रकबा 0.30 है0 में से 0.17 है0 भूमि खसरा 1338 के सहारे की प्रथम पक्ष के हिस्से में रहेगी, बाकी 0.13 है0 भमि द्वितीय पक्ष के हिस्से में रहेगी। इसके अलावा खसरा नंबर 1331 रकबा 0.27 है0 व खसरा नंबर 1336 रकबा 0.25 है0 भी है, जो द्वितीय पक्ष के हिस्से में रहेगी। दोनों पक्ष अपने–अपने हिस्से में काश्त शांतिपूर्वक करेंगे। एक दूसरे के हिस्से में कोई बाधा नहीं पहुंचायेंगे। इसके अलावा खाता संख्या 733 सामलाती खाता भी है, जिसका रकबा 1.17 है0 है, इसमें महावीर पुत्र माधो का 1/18 हिस्सा है, श्योजी व कमला का प्रत्येक का 1/18 हिस्सा है, यह खसरा नंबर 1335 में से दे दी है, इसमें 0.04 है0 जमीन प्रथम पक्ष ने दे दी है। इसके बदले खसरा नंबर 1333 रकबा 0.04 है0 जमीन, जो की स्वयं की खातेदारी की है, यह जमीन महावीर पुत्र माधो को दी गई है, जो सनद रहे। मौके पर पटवारी से नपवाकर दे दी है। मौके पर कब्जा संभला दिया गया है। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। खसरा नंबर 1337 का रास्ता मेन रोड से रहेगा व खसरा नंबर 1335 का रास्ता पुरानी जगह होकर रहेगा।

4. हमने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं तथ्यों का मनन किया। प्रकरण में उभयपक्षों के बीच राजीनामा हो चुका है, जिसके अनुसार ग्राम चौथ का बरवाड़ा, पटवार हल्का चौथ का बरवाड़ा बी की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि के संबंध में बंटवारा इस प्रकार हुआ है कि खसरा नंबर 1337 रकबा 0.30 है0 में से 0.17 है0 भूमि खसरा 1338 के सहारे की प्रथम पक्ष के हिस्से में रहेगी, बाकी 0.13 है0 भमि द्वितीय पक्ष के हिस्से में रहेगी। इसके अलावा खसरा नंबर 1331 रकबा 0.27 है0 व खसरा नंबर 1336 रकबा 0.25 है0 भी है, जो द्वितीय पक्ष के हिस्से में रहेगी। दोनों पक्ष अपने–अपने हिस्से में काश्त शांतिपूर्वक करेंगे। एक दूसरे के हिस्से में कोई बाधा नहीं पहुंचायेंगे। इसके अलावा खाता संख्या 733 सामलाती खाता भी है, जिसका रकबा 1.17 है0 है, इसमें महावीर पुत्र माधो का 1/18 हिस्सा है, श्योजी व कमला का प्रत्येक का 1/18 हिस्सा है, यह खसरा नंबर 1335 में से दे दी है, इसमें 0.04 है0 जमीन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:06 IST
Reason: SelfAttested

Vijay
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रथम पक्ष ने दे दी है। इसके बदले खसरा नंबर 1333 रकबा 0.04 है0 जमीन, जो की स्वयं की खातेदारी की है, यह जमीन महावीर पुत्र माधो को दी गई है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

5. उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार मैं उभयपक्षों के मध्य तकासमा किया जाना उचित समझता हूं।

—:आदेश:—

उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार तकासमा किया जाता है—

क्र. सं.	खातेदारान का नाम	प्रस्तावित खसरा नंबर	रकबा (है0 में)
1.	शंकर पुत्र भूरा माली	1337	0.30 है0 में से 0.17 है0
		1335	0.26 है0 में से 0.17 है0
2.	महावीर प्रसाद पुत्र माधो माली	1337	0.30 है0 में से 0.03 है0
		1336	0.25 है0 में से 0.17 है0
		1331	0.27 है0 में से 0.18 है0
		1332	0.18 है0 में से 0.12 है0
		1333	0.04 है0 सम्पूर्ण
3.	स्व0 श्योजीलाल पुत्र माधो माली के वारिसान	1337	0.30 है0 में से 0.05 है0
		1336	0.25 है0 में से 0.04 है0
		1331	0.27 है0 में से 0.045 है0
		1335	0.26 है0 में से 0.045 है0
		1332	0.18 है0 में से 0.03 है0
4.	कमला पुत्री माधो माली	1337	0.30 है0 में से 0.05 है0
		1336	0.25 है0 में से 0.04 है0
		1331	0.27 है0 में से 0.045 है0
		1335	0.18 है0 में से 0.045 है0
		1332	0.18 है0 में से 0.03 है0

उभयपक्षों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे बाद तकासमा हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त में किसी भी पक्षकार के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.04.08 11:57:06 IST
Reason: SelfAttested